

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103007152014

दांडिक प्रकरण क.-643 / 2014

संस्थापित दिनांक-03.11.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-राजेन्द्रसिंह पुत्र हरनामसिंह यादव आयु 48 वर्ष निवासी मेलाग्राउन्ड, चंदेरी	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 16.11.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 429, धारा 11 पशुकूरता अधिनियम के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 429 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय धारा 11 पशु कूरता अधिनियम के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी अशोक गुप्ता ने दिनांक 27.09.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 27.09.14 को रात्रि 02 बजे फरियादी के घर मेलाग्राउंड फरियादी के घर चंदेरी में उसका घोड़ा शादी विवाह के लिए भेजा जाता है जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है। फरियादी के अनुसार उक्त दिनांक को उसके बच्चों को घोंडे की चिल्लाने की आवाज आई और उन्होंने आरोपी को बाहर भागते देखा और जाकर देखा तो घोड़े के पूछ के बाल एवं गर्दन के बाल छुरी से कटे हुए थे और घोड़े को घाव हो गया था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 421/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 429 एवं धारा 11 पशुकूरता अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 429 एवं धारा 11 पशुकूरता अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.09.14 को समय रात 02:22 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी मेला ग्राउंड स्थित फरियादी के टपरा में परिवादी

के घोड़े के छुरी से इस प्रकार बाल काटे की घोड़े को घाव हो गये, और इस प्रकार उसके साथ निर्देयता पूर्वक व्यवहार किया ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वर्तित हैं। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 अशोक, अ.सा.2 लक्ष्मी गुप्ता, अ.सा.3 सुधा, अ.सा.4 राहुल, अ.सा.5 डॉ दिनेश कुमार, अ.सा.6 मदन मराठी की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 अशोक ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना डेढ़ वर्ष पूर्व की है तथा किसी व्यक्ति ने उसके घोड़े के बाल काट दिये थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसके बच्चों ने किस व्यक्ति द्वारा बाल काटे गये यह बात नहीं बताई थी तथा उसने इस संबंध में प्र0पी01 की रिपोर्ट लेखवद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया था। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने नुकसानी पंचनामा प्र0पी03 तैयार किया था।

09— उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्र0पी01 रिपोर्ट एवं कथन प्र0पी04 में उसे धंधे में नुकसान कारित करने के आशय से आरोपी द्वारा घोड़े के बाल काटने वाली बात लिखाई थी। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी ने न तो उसके घोड़े के बाल काटे और न ही कभी उसे घायल किया। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसकी पत्नी व बच्चों ने यह नहीं बताया था कि आरोपी द्वारा घोड़े के बाल काटे गये थे।

10— अ.सा.2 लक्ष्मी गुप्ता जो कि फरियादी की पुत्री है ने अपने कथन में बताया है कि उनके घोड़े की पूंछ और उपर से बाल किसी ने काट लिये थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी के घर की ओर किसी को जाते देखा था किंतु वह कोन था उसे नहीं देखा था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि जिस व्यक्ति को उसने देखा था वह आरोपी नहीं था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने आरोपी को घटना करते देख लिया था। अ.सा.3 सुधा ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी ने घटना कारित की थी। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके बच्चों ने आरोपी का नाम नहीं बताया था। अ.सा.4 राहुल ने भी अपने कथन में बताया है कि उनके घोड़े के बाल किसी ने काट लिये थे। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी06 देने से इंकार किया है तथा इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी ने कोई घटना कारित नहीं की और न ही कोई चोट पहुंचाई।

11— अ.सा.5 डॉ दिनेश कुमार जिनके द्वारा प्रकरण में घोड़े का मेडिकल परीक्षण किया गया है ने अपनी रिपोर्ट प्र0पी0 7 के अनुसार कथन किया है कि घोड़े की गर्दन पर उन्होंने चोट पाई थी। अ.सा.6 मदन मरावी जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया गया था तथा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा नुकसानी पंचनामा प्र0पी03 तैयार किया था।

12— अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई हैं उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले के फरियादी अ.सा.1 तथा अन्य सभी साक्षीगण ने अपने कथन में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को उक्त घोड़े को चोटें आई थी। उक्त तथ्य अ.सा.5 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है की साक्ष्य से भी प्रमाणित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण यह तो प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को घोड़े को चोटें आई थी किंतु उक्त चोटें आरोपी द्वारा कारित की गई इस संबंध में फरियादी

तथा अन्य साक्षीगण ने अपने कथनों कोई कथन नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि फरियादी अ.सा.1 तथा अन्य साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना कारित नहीं की गई। अ.सा.2 एवं अ.सा.4 जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं ने भी अपने कथनों में बताया है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा था वह आरोपी नहीं था।

13— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी01 में यह स्पष्टरूप से अभिलिखित है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना कारित की गई किंतु अ.सा.2 एवं अ.सा.4 जो कि प्र0पी01 के अनुसार घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं ने अपने कथन में इस तथ्य से इंकार किया है कि उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया। इस प्रकार साक्षीगण के न्यायालयीन कथन एवं धारा 161 दफ्तर के कथनों में बड़ा विरोधाभास है और साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी01 एवं साक्षीगण के कथनों में भी बड़ा विरोधाभास है। न केवल फरियादी वल्लिक अन्य सभी साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये हैं तथा उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित नहीं किया गया। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उक्त घड़े के बाल काटकर उसके साथ निर्देयता पूर्वक व्यवहार किया गया था।

14— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को धारा 11 पशुकूरता अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

17— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)